भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1071
जिसका उत्तर गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई

1071 # डा. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में न्यायिक व्यवस्था मे पारदर्शिता लाने के लिए झूठे मामले दर्ज कराने वालों के विरुद्ध इस अपराध को बार-बार दोहराए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण कानूनी व्यय की वसूली किए जाने तथा जुर्माने/सजा को दुगुना किए जाने जैसी सख्त कार्रवाई किए जाने का है ;

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों द्वारा अर्थदण्ड का भुगतान न किए जाने की स्थिति में कारावास/सजा का प्रावधान किए जाने का है ; और

(घ)क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए है कि मामले दर्ज कराने वाले व्यक्ति अपने व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करे ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी नहीं । विधिक और संवैधानिक उपायों की गारंटी संविधान के उपबंधों के अधीन दी जाती है। निवारण के लिए न्यायालयों में जाना सभी नागरिकों और विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों का अधिकार है, जो न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं।

किसी मामले में पक्षकारों के तर्कों के अनुसार, यह न्यायालय को निर्णय करना है कि मामला/याचिका/वाद विचार योग्य है या नहीं और क्या राहत स्वीकार्य है या अन्यथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर है । इसके अतिरिक्त, पथभ्रष्ट वादियों द्वारा तुच्छ मुकदमों से निपटने के लिए कतिपय विधियां हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन, धारा 35क झूठे या तंग करने वाले दावों या बचाव के संबंध में मुआवजे के रूप में लागत के भुगतान का उपबंध करती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 250 के अधीन भी, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रतिकर के सीधे भुगतान का निर्देश देने का अधिकार है, अगर न्यायालय का विचार है कि अभियोग लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 209 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्ण या बेईमानी से, या किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने या क्षुब्ध करने के आशय से,

न्यायालय में ऐसा कोई दावा करता है जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, वह दंड का पात्र है, दोनों में से किसी विवरण का कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी अपने आदेशों/निर्णयों के माध्यम से समय-समय पर तुच्छ मुकदमेबाजी/झूठे दावों पर रोक लगाने के लिए कतिपय निर्देश जारी किए हैं। न्यायालयों को इस बात की भी चिंता है कि जनहित याचिकाओं के नाम पर तुच्छ याचिकाएं दायर कर कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करे। इसके अतिरिक्त, जनहित याचिका न्यायालयों के रिकॉर्ड द्वारा घोषित विधि का एक नियम है। तथापि, याचिका दायर करने वाले व्यक्ति (या संस्था) को न्यायालय के समाधान के लिए यह साबित करना होगा कि याचिका सार्वजनिक हित में है और मौद्रिक लाभ के लिए लाया गया तुच्छ मुकदमा नहीं है।

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल और अन्य (2010) 3 एससीसी 402 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया था कि जनहित याचिका की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया है: -

(क) न्यायालयों को वास्तविक और सद्भावपूर्ण जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और बाहरी विचारों के लिए दायर जनहित याचिका को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित और रोकना चाहिए।

(ख) जनहित याचिका से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और परोक्ष उद्देश्यों से दायर जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम विरचित करे। परिणामस्वरूप, हम अनुरोध करते हैं कि जिन उच्च न्यायालयों ने अभी तक नियम नहीं विरचित किए हैं, वे तीन महीने के भीतर नियम विरचित कर ले । प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार नियमों की एक प्रति तत्काल इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए।

(ग) न्यायालयों को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ता की साख को प्रथम दृष्टया सत्यापित करना चाहिए ।

(घ) न्यायालय को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले याचिका की सामग्री की शुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया समाधान होना चाहिए।

(ङ) न्यायालय का पूरी तरह से समाधान होना चाहिए कि याचिका पर विचार करने से पहले पर्याप्त जनहित सम्मिलित है।

(च) न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि याचिका जिसमें व्यापक जनहित, गंभीरता और तात्कालिकता सम्मिलित है, को अन्य याचिकाओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(छ) न्यायालयों को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका का लक्ष्य वास्तविक सार्वजनिक नुकसान या सार्वजनिक क्षति का निवारण करना है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी हेतुक या परोक्ष हेतुक नहीं है।

(ज) न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहरी और गुप्त हेतुकों के लिए व्यस्त निकायों द्वारा दायर याचिकाओं को अनुकरणीय लागतों को लागू करके या तुच्छ याचिकाओं और बाहरी विचारों के लिए दायर याचिकाओं को रोकने के लिए ऐसी ही नई रीतियों को अपनाकर हतोत्साहित किया जाना चाहिए ।

सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ व अन्य (2014) 8 एससीसी 470 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि "भारतीय न्यायिक प्रणाली तुच्छ मुकदमेबाजी से बुरी तरह पीड़ित है। वादकारियों को उनके बाध्यकारी ग्रस्तता से, बेतुके और गैर-विचारित दावों के प्रति, रोकने के लिए रीतियों और साधनों को विकसित करने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में, हर गैर-उत्तरदायी और बेतुके दावे का एक निर्दोष पीड़ित होता है। वह लंबे समय तक घबराहट और बेचैनी से परेशान रहता है, जबकि मुकदमेबाजी लंबित है, उसकी ओर से कोई दोष नहीं है।“

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 'चारु किशोर मेहता बनाम प्रकाश पटेल व अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 11030/2022 में तारीख 22.06.2022 के आदेश द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के तारीख 13.06.2022 के आदेश की पुष्टि की, और धारित किया कि न्यायालय में तुच्छ मामले दायर करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें उसने याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया और विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उचित मामलों में एच.एस. बेदी बनाम एनएचएआई (मनु /डीई/0154/2016) के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अधीन अभियोजन शुरू करने के लिए निचली न्यायालयों को दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि कार्रवाई करने के लिए न्यायालयों की अनिच्छा वादियों को झूठे दावे करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 209 में किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने या क्षुब्ध करने के आशय से न्यायालय में झूठा दावा करने के लिए कपटपूर्ण या बेईमानी से अपराध के लिए दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का उपबंध है।

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय समय-समय पर झूठे और तुच्छ मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करते रहे हैं, इसलिए इस स्तर पर केंद्रीय सरकार के स्तर पर आगे की कार्रवाई पर विचार नहीं किया गया है।

****